

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न० राजस्व प्रकरण 105/2023


प्रार्थी :- मोहनराम पुत्र राणाराम जाति भील निवासी महादेवपुरा कलावा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. किसनाराम पुत्र मिसराराम
2. लालाराम पुत्र मिसराराम
3. नैनाराम पुत्र मिसराराम
4. जेठाराम पुत्र मिसराराम
5. मंगलाराम पुत्र मिसराराम
6. उदाराम पुत्र मिसराराम सभी जातियान भील, निवासी महादेवपुरा कलावा तहसील पचपदरा।
7. हाजी खां पुत्र गफूर खां
8. रसुखां पुत्र गफूर खां सभी जाति मुसलमान नि. तिलवाडा
9. जेमाराम पुत्र नगाराम.
10. जेसाराम पुत्र नगाराम
11. मदनलाल पुत्र मोहनराम
12. मेलाराम पुत्र भूराराम
13. राणाराम पुत्र पपीया
14. सूजाराम पुत्र मोहनराम सभी जातियान भील, निवासीयान महादेव पुरा, कलावा तह. पचपदरा
15. अशोक कुमार पुत्र भंवराराम जाति भील निवासी , साजियाली पदमसिंह तह. पचपदरा।
16. प्रताप कुमार पुत्र भंवराराम जाति भील निवासी आकडली बक्सीराम तह० पचपदरा
17. वीराराम पुत्र बेसराराम जाति भील निवासी महादेवपुरा
18. मेघा गुप्ता पत्नी उमेश जाति अग्रवाल निवासी अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा जिला बाडमेर।



  
उप खण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

19. बन्दन सिधंल पुत्र मुकेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी  
खेड रोड बालोतरा जिला बाडमेर ।
20. किसराराम पुत्र जवाराराम जाति भील निवासी थान माता  
हिंगलाज तह0 सिवाना जिला बाडमेर ।
21. भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व  
नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :-

1. श्री अचलाराम थोरी , प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री रामसिंह राठौड विप्रार्थी संख्या 1 से 6
3. श्री बाबूलाल सांखला विप्रार्थी संख्या 15
4. विप्रार्थी संख्या - 4 ता 14, 16 ता 21 एक पक्षीय

'आदेश'

दिनांक :- 06.06.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा ग्राम महादेवपुरा, पटवार हल्का खेड, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली पदमसिंह, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 100 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 101 रकबा 0.4207 हैक्टेयर, खसरा संख्या 108 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1153/998 रकबा 2..4281 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1154/998 रकबा 0.8.094 हैक्टेयर, खसरा संख्या 996/103 रकबा 2..1853 हैक्टेयर, खसरा संख्या 997/103 रकबा 0.0890 हैक्टेयर भूमि मे अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 से 21 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 6 की और से जबाब व काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम महादेवपुरा, पटवार हल्का खेड , भू.अ.नि.साजियाली पदमसिंह



*(Signature)*


उप खण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

(3)

के खसरा संख्या 105 क्षेत्रफल 1.3025 हैक्टर, खसरा संख्या 992/106 क्षेत्रफल 0.6556 हैक्टर, खसरा संख्या 993/107 क्षेत्रफल 0.1133 हैक्टर, खसरा संख्या 995/107 क्षेत्रफल 0.3076 हैक्टर, भूमि भी नेखमबन्दी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है, काउण्टर क्लेम बाबत प्रार्थी वकील ने कोई उज्र एतराज पेश नहीं किया गया। विप्रार्थीगण संख्या -15 के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने बाबत सहमती प्रकट की है। विप्रार्थी संख्या 7 से 14 व 16 ता 21 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 ता 6 व 15 की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि मौजा ग्राम महादेवपुरा, पटवार हल्का खेड, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली पदमसिंह, तहसील पचपदरा में खसरा संख्या 100 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 101 रकबा 0.4207 हैक्टेयर, खसरा संख्या 108 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1153/998 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1154/998 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा संख्या 996/103 रकबा 2.1853 हैक्टेयर, खसरा संख्या 997/103 रकबा 0.0890 हैक्टेयर भूमि में पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है। विप्रार्थी संख्या 1 से 20 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के वकील ने अपनी बहस में निवेदन कर कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी के साथ उक्त आराजी खसरा संख्या 105 क्षेत्रफल 1.3025 हैक्टर, खसरा संख्या 992/106 क्षेत्रफल 0.6556 हैक्टर, खसरा संख्या 993/107, क्षेत्रफल 0.1133 हैक्टर अवस्थित भूमि की पक्की नेखमबन्दी की जाने का आदेश फरमावे जावे।

हमने उभय पक्षों के अधीवक्तागण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा ग्राम महादेवपुरा, पटवार हल्का खेड, भू अभिलेख निरीक्षक

  
उप खण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा



(4)


क्षेत्र साजियाली पदमसिंह, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 100 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 101 रकबा 0.4207 हैक्टेयर, खसरा संख्या 108 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1153/998 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1154/998 रकबा 0.8.094 हैक्टेयर, खसरा संख्या 996/103 रकबा 2.1853 हैक्टेयर, खसरा संख्या 997/103 रकबा 0.0890 हैक्टेयर मे वह विप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के खसरा संख्या 105 क्षेत्रफल 1.3025 हैक्टर, खसरा संख्या 992/106 क्षेत्रफल 0.6556 हैक्टर, खसरा संख्या 993/107 क्षेत्रफल 0.1133 हैक्टर, खसरा संख्या 995/107 क्षेत्रफल 0.3076 हैक्टर, भूमि मे प्रार्थी व विप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079-2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । प्रार्थी ने तहसीलदार से सीमाज्ञान का आदेश लेकर दिनांक 15/03/2023 को सीमाज्ञान भी करवाया , ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम महादेवपुरा, पटवार हल्का खेड, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र साजियाली पदमसिंह, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 100 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा संख्या 101 रकबा 0.4207 हैक्टेयर, खसरा संख्या 108 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1153/998 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1154/998 रकबा 0.8.094 हैक्टेयर, खसरा संख्या 996/103 रकबा 2.1853 हैक्टेयर, खसरा संख्या 997/103 रकबा 0.0890 हैक्टेयर साथ ही विप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के प्रतीप प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 105 क्षेत्रफल 1.3025 हैक्टर, खसरा संख्या 992/106 क्षेत्रफल 0.6556 हैक्टर, खसरा संख्या 993/107 क्षेत्रफल 0.1133 हैक्टर, खसरा संख्या 995/107 क्षेत्रफल 0.3076 हैक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 1500/- प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।



(विवेक व्यास )

उपपरिषद अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 06.06.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

  
उपपरिषद अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

